न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियॉं, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 244/2022 प्रार्थना पत्र

दर्ज तिथि : 26.12.2022

श्री जम्बु कुमार पिता अशोक कुमार कडावत जाति महाजन जैन आयु 36 वर्ष निवासी बडा बाजार रामपुरा तहसील मनासा जिला नीमच, मध्य प्रदेश।

................प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति कालीबाई पिता नारायण लाल जाति मीणा आयु वयस्क निवासी सेगवा तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री रामदयाल पिता नारायण लाल जाति मीणा आयु वयस्क निवासी सेगवा तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
3. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा जिला, चित्तौड़गढ़, राज.

...............विपक्षीगण

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः–श्री ऋषभ कुमार सेठिया
विपक्षीगण नम्बर 1 व 2 अधिवक्ता :– श्री मदनलाल चपलोत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथि : 04.09.2023

1. आज यह पत्रावली अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि मौजा सेगवा तहसील, निम्बाहेडा की साबिक आराजी नम्बर 282 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि उदा पिता चौथमल मीणा निवासी सेगवा के खातेदारी में दर्ज थी। खातेदार उदा के देहान्त के बाद नामान्तरण संख्या 484 दिनांक 18.10.2006 के द्वारा विरासत से उदा के पुत्र कचरूलाल, कंवरलाल पिता उदा एवं सुखीबाई बेवा उदा के नाम पर खुला। आराजी नम्बर 282 का वाद के जरिये बंटवारा हुआ। बंटवारे अनुसार आराजी नम्बर 424/282 रकबा 3–02 बीघा एवं आराजी नम्बर 282 मीन रकबा 3–02 बीघा बने। आराजी नम्बर 282 मीन रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा के खातेदार कचरूलाल, कंवरलाल पिता उदा एवं सुखीबाई बेवा उदा मीणा ने अपनी सम्पूर्ण आराजी जरिये विक्रय पत्र पंजीकृत दिनांक 22.05.2012 से श्री जोधराज पिता भीमा [illegible] निवासी नारजी तलाई बग्गड तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर को विक्रित [illegible] खातेदार श्री जोधराज मीणा ने अपने खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 282 मी[illegible] रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा में से 7055.66 वर्गमीटर भूमि औद्योगिक [illegible] करवा ली। यह कि रूप[illegible]त्रावली 2/2013 एसडीओ कोर्ट निम्बाहेडा में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक [illegible]2013 में आराजी नम्बर 282 मीन रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा का नवीन सेटलमेन्ट हाल अनुसार आराजी नम्बर 459 रकबा 0.82 हैक्टेयर दर्ज किया गया। वास्ते साक्षी पर्चा मौका रिपोर्ट दिनांक 11.01.2013 की प्रति प्रस्तुत की। श्री जोधराज मीणा ने आराजी नम्बर 282 मीन वर्तमान खसरा नम्बर 459 की समस्त रूपान्तरित भूमि मौजा सेगवा को जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:16:26 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.06.2014 से श्रीमति पूर्वी कडावत पत्नि जम्बूकुमार कडावत निवासी शाहीबाग अहमदाबाद को बेच दी।

2. यह कि श्रीमति पूर्वी कडावत ने समस्त औद्योगिक रूपांतरित भूमि अपने पति जम्बु कुमार पिता अशोक कुमार कडावत जाति महाजन जैन निवासी रामपुरा तहसील मनासा जिला नीमच को जरिये पंजीकृत दान पत्र दिनांक 21.09.2016 से दान कर दी। यह कि आराजी नम्बर 282 को नवीन सेटलमेन्ट के दोनों हिस्सों के पृथक–पृथक नम्बरों के रेकार्ड जमाबंदी में आराजी नम्बर 459 रकबा 0.82 हैक्टेयर को विपक्षी नम्बर 1 व 2 के नाम पर दर्ज कर दिया तथा आराजी नम्बर 486 रकबा 0.75 हैक्टेयर को प्रार्थी के नाम पर विपक्षीगण के बजाय दर्ज गलत रूप से कर दिया। इसलिए प्रार्थी आराजी नम्बर 459 रकबा 0.75 हैक्टेयर को प्रार्थी अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का अधिकारी है इसी प्रकार आराजी नम्बर 486 रकबा 0.82 हैक्टेयर मौजा सेगवा को विपक्षी नम्बर 1 व 2 के नाम पर दर्ज कराने का अधिकारी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के अन्त में आराजी नम्बर 459 रकबा 0.75 हैक्टेयर विपक्षी नम्बर 1 व 2 के बजाय प्रार्थी के नाम पर एवं आराजी नम्बर 486 रकबा 0.82 हैक्टेयर को प्रार्थी के बजाय विपक्षी नम्बर 1 व 2 के नाम पर दर्ज फरमा इन्द्राज दुरूस्ती करवाने का निवेदन किया गया।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए ग्राम सेगवा की नवीन आराजी नम्बर 459 रकबा 0.75 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज करवाने का निवेदन किया गया। तहसीलदार, निम्बाहेडा की जांच रिपोर्ट में अंकित किया गया हैं कि "ग्राम सेगवा कि गत आराजी नम्बर 282 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि उदा पिता चौथमल मीणा के नाम खातेदारी भूमि होकर विरासत व बंटवारा डिक्री इजराय के नामान्तरण संख्या 522 दिनांक 23.06.2008 से आराजी नम्बर 282 मीन रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा श्री कचरूमल, कंवरलाल पिता उदा, सुखीबई पत्नि स्व. उदा मीणा के नाम दर्ज हुआ। नामान्तरण व इजराय के साथ आराजी नम्बर 282 के बंटवारे में आराजी नम्बर 424/282 व आराजी नम्बर 282 मीन का नक्शा संलग्न नहीं है, न ही दिशा का अंकन है। आराजी नम्बर 282 मीन का विक्रय पूर्व खातेदार कचरूलाल, कंवरलाल पिता उदा एवं सुखी बाई द्वारा क्रेता जोधराज पिता भीमा मीणा को सम्पूर्ण रकबा विक्रय किया जिसका नामान्तरण संख्या 607 होकर क्रेता जोधराज के नाम दर्ज हुई। ग्राम सेगवा की जमाबंदी गत भू–प्रबन्ध अन्तिम रोटेशन संवत 2066 अनुसार खाता संख्या 4 पर नामान्तरण संख्या 522 के अमल व नामान्तरण संख्या 522 अनुसार आराजी नम्बर 282 मीन रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि श्री कचरूमल, कंवरलाल पिता उदा, सुखीबाई बेवा उदा मीणा के नाम होना व इनके द्वारा ही नामान्तरण संख्या 607 से आराजी नम्बर 282 मीन श्री जोधराज पिता भीमा मीणा को विक्रय होना स्पष्ट है तथा आराजी नम्बर 424/282 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा श्री रामदयाल, भगतराम, मनोहर पिता नारायण, काली पत्नि नारायण मीणा के नाम होना स्पष्ट रिकार्ड में दर्ज है। भू–प्रबन्ध के दौरान ही नामान्तरण संख्या 522 हुआ और भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नामान्तरण संख्या 522 का अमल दरामद नहीं किया [illegible] आराजी नम्बर 282 के बीच केली–निम्बाहेड़ा सडक की तरमीम करने [illegible] नम्बर 282 को दो टुकडों में तरमीम किया गया। हाल [illegible] हैक्टेयर व आराजी नम्बर 486 रकबा 0.75 हैक्टेयर [illegible] साबिक [illegible] नम्बर 282 मीन रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा से बनना अंकन [illegible] सम्पूर्ण पूर्व खातेदार उदा पिता चौथमल के वारिसान कचरूलाल, कंवरलाल [illegible] उदा मीणा व सुखीबाई पत्नि उदा मीणा के नाम दर्ज किये गये, जो आधार वर्ष जमाबंदी संवत 2067–2070 में अमल दरामद होकर इसी जमाबंदी में नाामन्तरण संख्या 607 दिनांक 05.06.2012 का नोट विक्रय से पुराना नम्बर 282 मीन रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा नया नम्बर 486 रकबा 0.75 हैक्टेयर कचरूलाल, कंवरलाल पिता उदा मीणा व सुखीबाई पत्नि उदा मीणा के बजाय जोधराज पिता भीमा मीणा के नाम दर्ज की स्वीकृति हुई, जिसका अंकन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:16:26 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

4. नामान्तरण संख्या 607 दिनांक 05.06.2012 से हाल आराजी नम्बर 486 रकबा 0.75 हैक्टेय को नामान्तरण के अमल से क्रेता जोधराज पिता भीमा मीणा के नाम दर्ज होकर दिनांक 15.02.2013 में जोधराज के नाम से आराजी नम्बर 282 मीन साबिक आराजी रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा में से 7055.66 वर्गमीटर भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हुआ। उस रूपान्तरण नक्शा अनुसार जोधराज की रूपान्तरित भूमि आराजी नम्बर 282 मीन निम्बाहेडा से केली सडक से पश्चिम दिशा में हाल आराजी नम्बर 459 रकबा 0.82 हैक्टेयर के स्थान की है, जबकि जोधराज के नाम तत्समय हाल आराजी नम्बर 486 रकबा 0.75 हैक्टेयर दर्ज था। यह कि नामान्तरण संख्या 522 में खाता संख्या 8 के आराजी नम्बर गत आराजी नम्बर 282 व 424 / 282 का अमल नहीं होकर उक्त दोनों साबिक आराजी नम्बर के हाल आराजी नम्बर 459 व 486 मूल खातेदार कचरूलाल, कंवरलाल पिता उदा, सुखीबाई पत्नि उदा मीणा के नाम दर्ज हो जाने से माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय के प्रकरण संख्या 05 / 2003 के वादीगण रामदयाल, भगतराम, मनोहरलाल पिता नारायण कालीबाई पत्नि नारायण मीणा का नाम हट जाने से उक्त वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकी महोदय, निम्बाहेडा में पुनः इस हेतु प्रकरण संख्या 762 / 2016 एल.आर. एक्ट धारा 136 का प्रकरण दर्ज कराया, जिसमें कल्याणपुरा से केली सडक के पूर्व दिशा का आराजी नम्बर 424 / 282 साबिक को स्वयं के हिस्से में न्यायालय निर्णय से आया होना व स्वयं के कब्जा–काश्त होना बताकर एवं आराजी नम्बर 424 / 282 के नये आराजी नम्बर 459 रकबा 0.82 हैक्टेयर होना बताकर वाद का निर्णय प्रार्थी के पक्ष में कराया। जिसका नामान्तरण संख्या 239 दिनांक 06.09.2021 निर्णित होकर आराजी नम्बर 459 हाल (कल्याणपुरा से केली सडक से पश्चिम दिशा) प्रकरण संख्या 05 / 2003 व प्रकरण संख्या 762 / 2016 के वादीगा श्री रामदयाल, भगतराम, मनोहरलाल पिता नारायालाल, कालीबाई पत्नि नारायण मीणा के नाम दर्ज हुआ है।

5. **निष्कर्षत** : यह है कि गत आराजी नम्बर 282 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि उदा पिता चौथमल मीणा के नाम दर्ज होकर माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा के प्रकरण संख्या 05 / 2003 मे डिक्री बंटवारा इजराय के नामान्तरण संख्या 522 दिनांक 23.06.2008 से आराजी नम्बर 282 मीन रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा कचरूलाल, कंवरलाल पिता उदा, सुखीबाई पत्नि उदा मीणा के नाम एवं आराजी नम्बर 424 / 282 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि श्री रामदयाल, भगतराम, मनोहरलाल पिता नारायणलाल, कालीबाई पत्नि नारायण मीणा के नाम दर्ज हुई जिसका अमल गत भू–प्रबन्ध की अन्तिम जमाबंदी मे होकर आराजी नम्बर 282 मीन रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा नामान्तरण संख्या 607 दिनांक 05.06.2012 से कचरूमल, कंवरलाल, सुखीबाई द्वारा विक्रय से जोधराज पिता भीमा मीणा के नाम दर्ज हुआ। माननीय न्यायालय से डिक्री / इजराय व नामान्तरण संख्या 522 के साथ उक्त बटा नम्बर व मीन नम्बर का नक्शा उपलब्ध नहीं है। नवीन भू–प्रबन्ध आधार वर्ष जमाबंदी संवत 2067–2070 मे नाामन्तरण संख्या 607 का व नामान्तरण संख्या 522 का पुनः अमल का नोट लगा (क्योंकि भू–प्रबन्ध द्वारा उक्त नामान्तरण संख्या का अमल मिसल बन्दोबस्त में नहीं किया था) नामान्तरण संख्या 607 का अमल मे साबिक आराजी नम्बर 282 मीन का नया आराजी नम्बर 486 रकबा 0.75 हैक्टेयर होना बताकर जोधराज के नाम विक्रय होना दर्ज हुआ है। दिनांक 15.02.2013 को साबिक आराजी नम्बर 282 मीन रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा का नक्शा सडक से पश्चिम दिशा का [illegible] भूमि रूपान्तरित हुई है। नामान्तरण संख्या 522 के अमल में आराजी नम्बर [illegible] व 424 / 282 का अमल आधार वर्ष जमाबंदी में छूट जाने [illegible] / 282 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा के खातेदार रामदयाल, [illegible] नारायणलाल, कालीबाई पत्नि नारायण मीणा ने माननीय [illegible] अधिकारी, निम्बाहेडा में प्रकरण संख्या 762 / 2016 में नामान्तरण संख्या 522 से दर्ज हुई भूमि पुनः उनके नाम कराने का धारा 136 का वाद दर्ज कराया। उक्त वाद में उनकी भूमि (वादीगण) सडक से पूर्व दिशा में कब्जा काश्त होकर आराजी नम्बर 424 / 282 मीन होना अंकन किया और इसके नये आराजी नम्बर 459 रकबा 0.82 हैक्टेयर होना बताकर वाद किया। माननीय न्यायालय का निर्णय होकर नामान्तरण संख्या 239 दिनांक 06.09.2021 से आराजी नम्बर 459 वादी रामदयाल वगैराह के नाम दर्ज हुआ, जो वास्तव में हाल रिकार्ड नक्शानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:16:26 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

सडक से पश्चिम में है। मौका पर वादीगण का कब्जा सडक से पूर्व में आराजी नम्बर 486 पर पहले होना जाहिर आया है। मगर प्रकरण संख्या 762 में निर्णय से आराजी नम्बर 459 सडक से पश्चिम में वादीगण के नाम होने से वादीगण ने आराजी नम्बर 459 हाल पर कब्जा करना जाहिर आकर कब्जा विवादित हो रहा है। जबकि रूपान्तरण नक्शा रिकार्ड अनुसार गत आराजी नम्बर 282 मीन व हाल आराजी नम्बर 459 का रकबा 0.75 हैक्टेयर होकर जोधराज पिता भीमा के नाम की भूमि है। रूपान्तरण आदेश का नामान्तरण दर्ज नहीं होकर रिकार्ड में आराजी नम्बर 459 व 486 कृषि भूमि ही दर्ज है।

6. विपक्षी संख्या 1 व 2 ने स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। राजीनामे में अंकित किया गया हैं कि "यह कि प्रकरण हाजा में तहसीलदार साहब, निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं पर्चा मौका सही पेश हुआ है जो उभयपक्षों को स्वीकार है। यह कि आराजी नम्बर 459 औद्योगिक प्रयोजनार्थ प्रार्थी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में नियमानुसार दर्ज किये जाने में विपक्षीगण को कोई ऐतराज नहीं है। हस्ब रिपोर्ट तहसीलदार, निम्बाहेड़ा राजस्व रेकार्ड में संशोधन का अंकन किये जाने में कोई ऐतराज नहीं है। यह कि आराजी नम्बर 486 रकबा 0.82 हैक्टेयर मौजा सेगवा तहसील, निम्बाहेड़ा को विपक्षीगण के नाम पर दर्ज किये जाने में प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। हस्ब रिपोर्ट तहसीलदार, निम्बाहेडा राजस्व रेकॉर्ड में संशोधन कर अंकन किये जाने में कोई ऐतराज नही है। यह कि प्रार्थी आराजी नम्बर 459 निम्बाहेडा केली मार्ग के पश्चिम में स्थित है जो प्रार्थी जम्बूकुमार की आराजी नम्बर 459 स्थित है तथा आराजी नम्बर 486 निम्बाहेडा केली सडक के पूर्व में है जो विपक्षीगण रामदयाल एवं कालीबाई की है। यह कि विपक्षीगण ने आराजी नम्बर 486 के औद्योगिक प्रयोजनार्थ पेश की है, जिसको विपक्षीगण विड्रो कर लेंगे। यह कि पक्षकारों के मध्य कब्जा सीमा सम्बन्धी कोई विवाद नहीं रहा है। विपक्षी संख्या 1 व 2 ने राजीनामे के अन्त में राजीनामा अनुसार एवं तहसीलदार, निम्बाहेडा के प्रतिवेदन एवं मौका रिपोर्ट अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

7. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***136. Correction of errors.*** *- The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:*
>
> *Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties*

8. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:16:26 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा (राज.)

9. मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर मनन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। तहसीलदार,

उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा

निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर मनन किया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। मिसल में संलग्न दस्तावेजात अनुसार ग्राम सेगवा की साबिक आराजी नम्बर 282 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि उदा पिता चौथमल मीणा के नाम दर्ज होकर न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 05/2003 में डिक्री बंटवारा इजराय के नामान्तरण संख्या 522 दिनांक 23.06.2008 से आराजी नम्बर 282 मीन रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा कचरूलाल, कंवरलाल पिता उदा, सुखीबाई पत्नि उदा मीणा के नाम एवं आराजी नम्बर 424/282 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि श्री रामदयाल, भगतराम, मनोहरलाल पिता नारायणलाल, कालीबाई पत्नि नारायण मीणा के नाम दर्ज हुई जिसका अमल गत भू-प्रबन्ध की अन्तिम जमाबंदी में होकर आराजी नम्बर 282 मीन रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा नामान्तरण संख्या 607 दिनांक 05.06.2012 से कचरूमल, कंवरलाल, सुखीबाई द्वारा विक्रय से जोधराज पिता भीमा मीणा के नाम दर्ज हुआ। नवीन भू-प्रबन्ध आधार वर्ष जमाबंदी संवत 2067-2070 में नामान्तरण संख्या 607 का व नामान्तरण संख्या 522 का पुनः अमल का नोट लगा (क्योंकि भू-प्रबन्ध द्वारा उक्त नामान्तरण संख्या का अमल मिसल बन्दोबस्त में नहीं किया था) नामान्तरण संख्या 607 का अमल में साबिक आराजी नम्बर 282 मीन का नया आराजी नम्बर 486 रकबा 0.75 हैक्टेयर होना बताकर जोधराज के नाम विक्रय होना दर्ज हुआ है। दिनांक 15.02.2013 को साबिक आराजी नम्बर 282 मीन रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा का नक्शा सडक से पश्चिम दिशा का होना प्रमाणित होकर जोधराज की भूमि रूपान्तरित हुई है। नामान्तरण संख्या 522 के अमल में आराजी नम्बर 282 व 424/282 का अमल आधार वर्ष जमाबंदी में छूट जाने से आराजी नम्बर साबिक 424/282 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा के खातेदार रामदयाल, भगतराम, मनोहरलाल पिता नारायणलाल, कालीबाई पत्नि नारायण मीणा ने न्यायालय हाजा में प्रकरण संख्या 762/2016 में नामान्तरण संख्या 522 से दर्ज हुई भूमि पुनः उनके नाम कराने का धारा 136 का वाद दर्ज कराया। उक्त वाद में उनकी भूमि (वादीगण) सडक से पूर्व दिशा में कब्जा काश्त होकर आराजी नम्बर 424/282 मीन होना अंकन किया और इसके नये आराजी नम्बर 459 रकबा 0.82 हैक्टेयर होना बताकर वाद किया। माननीय न्यायालय का निर्णय होकर नामान्तरण संख्या 239 दिनांक 06.09.2021 से आराजी नम्बर 459 प्रार्थी रामदयाल वगैराह के नाम दर्ज हुआ, जो वास्तव में हाल रिकार्ड नक्शानुसार सडक से पश्चिम में है। मौका पर वादीगण का कब्जा सडक से पूर्व में आराजी नम्बर 486 पर पहले होना जाहिर आया है। मगर प्रकरण संख्या 762 में निर्णय से आराजी नम्बर 459 सडक से पश्चिम में वादीगण के नाम होने से वादीगण ने आराजी नम्बर 459 हाल पर कब्जा करना जाहिर आकर कब्जा विवादित हो रहा है। जबकि रूपान्तरण नक्शा रिकार्ड अनुसार गत आराजी नम्बर 282 मीन व हाल आराजी नम्बर 459 का रकबा 0.75 हैक्टेयर होकर जोधराज पिता भीमा के नाम की भूमि है। रूपान्तरण आदेश का नामान्तरण दर्ज नहीं होकर रिकार्ड में आराजी नम्बर 459 व 486 कृषि भूमि ही दर्ज है।

10. तहसीलदार,निम्बाहेडा ने भी अपनी रिपोर्ट में हाल आराजी नम्बर 459 को जोधराज पिता भीमा मीणा की संपरिवर्तित आराजी बताया हैं एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 ने राजीनामा प्रस्तुत किया उसमें भी आराजी नम्बर 459 को जोधराज पिता भीमा मीणा की संपरिवर्तित आराजी मानते हुए तहसीलदार, निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में अंकितानुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्धि दर्ज किये जाने का निवेदन किया हैं। अतः साबिक रिकार्ड से साबित होने, तहसीलदार, निम्बाहेडा की जांच रिपोर्ट में भी प्रार्थी के कथन की पुष्टि होने एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत राजीनामे में भी प्रार्थी के कथन को सत्य बताये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। आराजी नम्बर 459 रकबा 0.82 हैक्टेयर भूमि में से रकबा 0.7055 हैक्टेयर भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित हुई है जो पूर्व सडक से सटी हुई है। अतः इण्डियन रोड कांग्रेस के नियमानुसार सडक से सटी भूमि के संपरिवर्तन कराये जाने पर नियमानुसार सडक के केन्द्र बिन्दु से नियमानुसार दूरी छोडनी होती है। अतः आराजी नम्बर 459 रकबा 0.82 हैक्टेयर में से 0.7055 हैक्टेयर भूमि श्री जोधराज पिता भीमा मीणा निवासी नारजी की तलाई, बग्गड तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर के नाम दर्ज किये जाने एवं शेष रकबा 0.1145 हैक्टेयर भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Runadia
Date: 2024.01.06 18:16:26 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

जाने तथा आराजी नम्बर 486 रकबा 0.75 सम्पूर्ण विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज किये जाने का निर्णय लिया गया।

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 साबिक रिकॉर्ड तहसीलदार निम्बाहेड़ा की जांच रिपोर्ट एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत राजीनामे से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। ग्राम सेमवा पटवार हल्का गादोला की आराजी नम्बर 459 रकबा 0.82 हैक्टेयर में से रकबा 0.7055 हैक्टेयर किस्म औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि श्री जोधराज पिता भीमा मीणा निवासी नारजी की तलाई, बग्गड तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर के नाम एवं शेष रकबा 0.1145 हैक्टेयर भूमि बिलानाम रास्ता तथा आराजी नम्बर 486 रकबा 0.75 हैक्टेयर भूमि श्री रामदयाल पिता नारायणलाल 1/2 कालीबाई पुत्री नारायणलाल 1/2 मीणा सा.देह के नाम दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल करने एवं राजस्व नक्शे में भी आवश्यक तरमीम करने हेतु लिखा जावे।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 04.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

5/9/23

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:16:26 IST
Reason: SelfAttested